

Uttar Pradesh Avam Evam Vikas Parishad

**104, M. G. Marg, Lucknow**

**List of Vacant Residential Properties for E-Auction July 2024 Varanasi Zone**

Sr. No.	Auction Id	Zone	City	Yojna/Apartment Name	Property Number	Property Type	Area (sq.mt.)	F.A.R	Reserve Price	Property Cost	Token Money	Reservation Category	Rera Registration No
1	28073	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna, Varanasi	3B-13/1	Residential Plot	63.25	N/A	53760.00	3400320.00	170016.00	General	-----
2	28074	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna, Varanasi	3B-13/2	Residential Plot	63.25	N/A	53760.00	3400320.00	170016.00	O.B.C	-----
3	28075	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna, Varanasi	3B-13/3	Residential Plot	63.25	N/A	53760.00	3400320.00	170016.00	S.C	-----
4	28076	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna, Varanasi	3B-13/4	Residential Plot	63.25	N/A	53760.00	3400320.00	170016.00	General	-----
5	28077	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna, Varanasi	3B-13/5	Residential Plot	63.25	N/A	53760.00	3400320.00	170016.00	General	-----
6	28078	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna, Varanasi	3B-13/6	Residential Plot	63.25	N/A	53760.00	3400320.00	170016.00	O.B.C	-----
7	28079	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna, Varanasi	3B-13/7	Residential Plot	63.79	N/A	53760.00	3429351.00	171468.00	General	-----

मा0 न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य परिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।

आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा।

यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल उपलब्ध हैं। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्टस से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है।

परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।

समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्त के 05 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किए जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/समयवृद्धि शुल्क देय होगा।

परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय/शैक्षणिक सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन की जाएंगी।